



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032021-226204  
CG-DL-E-27032021-226204

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 27, 2021/चैत्र 6, 1943

No. 167]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 27, 2021/CHAITRA 6, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2021

सं. 18/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

**सा.का.नि. 216(अ).**—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “पोलीइथीलीन टेरिफथालेट रेसिन, जिसकी अंतर्भूत स्यानता 0.72 डेसी लीटर प्रति ग्राम या इससे अधिक हो” (बोतल ग्रेड पीईटी रेसिन, रीसाइकल्ड पीईटी रेसिन को छोड़कर), एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 3907 61 90 या 3907 69 90 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/24/2019-डीजीटीआर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि विषयगत देश से विषयगत वस्तु के होने वाले फालतू आयात के कारण यहां के घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए इस पर प्रतिपादन शुल्क का लगाया जाना जरूरी है और उन्होंने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम

की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

### सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	39076190 और 39076990	पोलीइथीलीन टैरेफ्थालेट रेसिन, जिसकी अंतर्भूत स्यानता 0.72 डेसी लीटर प्रति ग्राम या इससे अधिक हो*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	जिआंगइन चैनगोल्ड पैकेजिंग मटेरियल कंपनी लिमिटेड/चाइना प्रास्पेरीटी (जिआंगइन) पैट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड	146.11	मेट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	39076190 और 39076990	पोलीइथीलीन टैरेफ्थालेट रेसिन, जिसकी अंतर्भूत स्यानता 0.72 डेसी लीटर प्रति ग्राम या इससे अधिक हो*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	वांकाई न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	15.54	मेट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	39076190 और 39076990	पोलीइथीलीन टैरेफ्थालेट रेसिन, जिसकी अंतर्भूत स्यानता 0.72 डेसी लीटर प्रति ग्राम या इससे अधिक हो*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	जिआंगसू झिंगई प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड/जिआंगयीन झिंगयू न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड/ जिआंगसू सनफेम इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड	60.92	मेट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4.	39076190 और 39076990	पोलीइथीलीन टैरेफ्थालेट रेसिन, जिसकी अंतर्भूत स्यानता 0.72 डेसी लीटर प्रति ग्राम या इससे अधिक हो*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	उपरोक्त क्रम संख्या 1, 2 और 3 में उल्लिखित उत्पादकों से भिन्न कोई भी उत्पादक	200.66	मेट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5.	39076190 और 39076990	पोलीइथीलीन टैरेफ्थालेट रेसिन, जिसकी अंतर्भूत स्यानता 0.72 डेसी लीटर प्रति ग्राम या इससे अधिक हो*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	200.66	मेट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6.	39076190 और 39076990	पोलीइथीलीन टैरेफ्थालेट रेसिन, जिसकी अंतर्भूत स्यानता 0.72 डेसी लीटर प्रति ग्राम या इससे अधिक हो*	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	200.66	मेट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

\* बोतल ग्रेड पीईटी रेसिन, रीसाइकल्ड पीईटी रेसिन को छोड़कर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/112/2020–टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2021

**No. 18/2021-Customs (ADD)**

**G.S.R. 216(E).**—Whereas, in the matter of “Polyethylene Terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher” (Bottle-grade PET resin, excluding recycled PET resin), hereinafter referred to as the subject goods, falling under tariff items 3907 61 90 or 3907 69 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 6/24/2019-DGTR, dated the 28<sup>th</sup> December, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28<sup>th</sup> December, 2020, has come to the conclusion that imposition of anti-dumping duty is required to offset the injury to the domestic industry caused by the dumped imports of subject goods from the subject country and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country and imported into India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

TABLE

S.No.	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	39076190 and 39076990	Polyethylene Terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher*	China PR	China PR	Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. / China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co, Ltd.	146.11	MT	USD
2.	39076190 and 39076990	Polyethylene Terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher*	China PR	China PR	Wankai New Materials Co. Ltd.	15.54	MT	USD
3.	39076190 and 39076990	Polyethylene Terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher*	China PR	China PR	Jiangsu Xingye Plastic Co. Ltd. / Jiangyin Xingyu New Material Co. Ltd. / Jiangsu Sanfame International Trade Co. Ltd.	60.92	MT	USD
4.	39076190 and 39076990	Polyethylene Terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher*	China PR	China PR	Any producer other than producers mentions at serial numbers 1, 2 and 3 above	200.66	MT	USD
5.	39076190 and 39076990	Polyethylene Terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher*	China PR	Any country other than China PR	Any	200.66	MT	USD
6.	39076190 and 39076990	Polyethylene Terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher*	Any country other than China PR	China PR	Any	200.66	MT	USD

\* Bottle-grade PET resin, excluding recycled PET resin

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

*Explanation.-* For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/112/2020-TRU]  
GAURAV SINGH, Dy. Secy.